

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०१६

मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक, २०१६

विषय—सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ
२. परिभाषाएं
३. बटाई
४. बटाई के अनुबंध का निष्पादन
५. भूमिस्वामी के अधिकार का संरक्षण
६. बटाईदार के अधिकार का संरक्षण
७. प्राकृतिक आपदा में सहायता की अधिकारिता
८. अंतरण या मृत्यु की दशा में न्यागमन
९. विवादों का निपटारा
१०. अनुबंध का भंग
११. भूमिस्वामी का पुनःस्थापन
१२. आपसी सहमति से अनुबंध की समाप्ति
१३. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव
१४. राजस्व प्राधिकारियों की अनन्य अधिकारिता
१५. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण
१६. नियम बनाने की शक्ति
१७. कठिनाईयों का दूर किया जाना

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०१६

मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईंदार के हितों का संरक्षण विधेयक, २०१६

कृषि भूमि बटाई से देने पर भूमिस्वामी एवं बटाईंदार कृषकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने तथा भूमि संसाधन का अधिकतम, प्रभावी एवं लाभप्रद उपयोग करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईंदार के हितों का संरक्षण अधिनियम, २०१६ है।

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा।

(३) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो—

परिभाषाएं

(क) 'अनुबंध' से अभिप्रेत है भूमिस्वामी एवं बटाईंदार के मध्य भूमिस्वामी की भूमि पर बटाई से कृषि एवं अन्य आनुषंगिक कार्य करने के प्रयोजन से विहित प्ररूप-क में यथासाध्य निष्पादित अनुबंधः

परन्तु यह अनुबंध पट्टा या अन्य किसी लिखत के रूप में ग्राह्य नहीं होगा;

(ख) 'बटाई' से अभिप्रेत है भूमिस्वामी एवं बटाईंदार के मध्य इस अधिनियम के अधीन निष्पादित अनुबंध के अनुसार धन या फसल का हिस्सा भूमिस्वामी को देकर कृषि करना;

(ग) 'बटाईंदार' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निष्पादित अनुबंध के अनुसार धन या फसल का अंश भूमिस्वामी को देकर कृषि करने वाला व्यक्ति;

(घ) 'भूमिस्वामी' से अभिप्रेत है संहिता की धारा १५८ में वर्णित भूमिस्वामी;

(ङ) 'संहिता' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९);

(च) 'सुधार' से अभिप्रेत है संहिता की धारा २ की उपधारा (१) के खंड (ज) में वर्णित सुधार और इसमें भूमिस्वामी तथा बटाईंदार की आपसी सहमति से, जो कि उनके मध्य निष्पादित अनुबंध में उल्लेखित हैं, किए गए कार्य भी सम्मिलित होंगे;

(छ) 'कृषि के आनुषंगिक कार्य' से अभिप्रेत है कृषि के साथ किए जाने वाले कार्य जैसे पशुपालन, कृषि यंत्रों, खाद, बीज तथा कृषि उपज के भंडारण हेतु संरचना निर्माण जो भूमिस्वामी एवं बटाईंदार विहित प्ररूप-क में निष्पादित अनुबंध में विविचित करें।

(२) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उनके लिए मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) में दिए गए हैं।

(३) (१) भूमिस्वामी प्ररूप-क में अनुबंध निष्पादित कर कृषि भूमि बटाई पर दे सकेगा।

बटाई।

(२) संहिता की धारा १६५ की उपधारा (६) के खण्ड (एक) के अधीन घोषित आदिम जनजाति का भूमिस्वामी उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में स्थित अपनी कृषि भूमि केवल अधिसूचित क्षेत्र के आदिम जनजाति के सदस्य को ही बटाई पर दे सकेगा।

(३) संहिता की धारा १६५ की उपधारा (६) के खण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट किए गए क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में आदिम जनजाति का भूमिस्वामी, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऐसी आदिम जनजाति का न हो, कलेक्टर की ऐसी अनुज्ञा से, जो कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से दी जाएगी, अपनी कृषि भूमि को बटाई पर दे सकेगा।

बटाई के अनुबंध का निष्पादन.

४. (१) भूमिस्वामी एवं बटाईदार के मध्य अनुबंध प्ररूप-क में सादे कागज पर तीन प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा।

(२) अनुबंध की एक-एक प्रति उभय पक्षकारों द्वारा अपने पास रखी जाएगी और एक प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत की जा सकेगी:

— १. इन नियमों का अनुबंध के अनुरूप रूप से लिखा जाना चाहिए।

परन्तु ऐसे अनुबंध के आधार पर राजस्व अभिलेखों में कोई प्रविष्टि नहीं की जावेगी।

(३) अनुबंध की अवधि अधिकतम ५ वर्ष हो सकेगी तथा पक्षकार अनुबंध का नवीनीकरण कर सकेंगे।

(४) एक वर्ष से अधिक के बटाई अनुबंध के मामलों में आगामी वर्षों के लिए प्रतिफल बढ़ते क्रम में तय किया जा सकेगा और उसके विवरण आपसी सहमति से अनुबंध में उल्लिखित किए जाएंगे।

(५) अनुबंध में अभिलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए बटाईदार को कृषि कार्य, सुधार एवं कृषि के आनुबंधिक कार्य करने का अधिकार होगा।

भूमिस्वामी के अधिकार का संरक्षण.

५. (१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, बटाईदार के अनुबंध में वर्णित अधिकारों के अतिरिक्त अनुबंधाधीन भूमि पर किसी भी प्रकार का भार सृजित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(२) अनुबंध की विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति या अनुबंध भंग होने पर भूमि, भूमिस्वामी को स्वतः प्रतिवर्तित हो जाएगी और बटाईदार भूमि से बेदखल समझा जावेगा तथा भूमिस्वामी का भूमि पर कब्जा हो गया समझा जाएगा। इस हेतु पृथक् से किसी कार्रवाई या आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

बटाईदार के अधिकार का संरक्षण.

६. (१) अनुबंध अवधि में भूमि स्वामी, बटाईदार द्वारा अनुबंध के अनुसार किए जा रहे कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

(२) भूमिस्वामी द्वारा अनुबंध की शर्तों का अपालन किए जाने पर बटाईदार को इस अधिनियम के अनुसार साम्यपूर्ण कार्यवाही का अधिकार होगा।

प्राकृतिक आपदा में सहायता की अधिकारिता.

७. प्राकृतिक आपदा या अन्यथा फसल की हानि की स्थिति में देय सहायता प्राप्त करने का तथा बीमा कम्पनी से प्राप्त होने वाला दावे की राशि प्राप्त करने का अधिकार, भूमिस्वामी और बटाईदार के मध्य निष्पादित अनुबंध के अनुसार होगा।

अंतरण या मृत्यु की दशा में व्यापमन.

८. (१) बटाईदार को अनुबंध के आधार पर प्राप्त अधिकार अंतरणीय नहीं होगा।

(२) बटाई अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंधाधीन भूमि का स्वत्व अंतरित होने की स्थिति में भूमि का स्वत्व प्राप्त करने वाला व्यक्ति अनुबंध में भूमिस्वामी के रूप में प्रतिस्थापित समझा जाएगा और वह अनुबंध का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

(३) बटाईदार की मृत्यु होने पर अनुबंध में उल्लिखित अधिकार उसके विधिक उत्तराधिकारी को प्राप्त होंगे:

परन्तु कोई उत्तराधिकारी ऐसे अधिकार प्राप्त करने से इंकार कर सकेगा।

९. (१) भूमिस्वामी एवं बटाईदार के बीच अनुबंध की शर्तों के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होने की दशा में तहसीलदार, विहित प्रक्रिया अनुसार जाँच कर, मामले का विनिश्चय कर सकेगा। विवादों का निपटारा.

(२) उपधारा (१) के अधीन तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की अपील उपखण्ड अधिकारी को होगी।

(३) उपधारा (२) के अधीन उपखण्ड अधिकारी के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण का आवेदन संभागायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

(४) किसी भी अन्तर्वर्ती आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण का आवेदन ग्राहा नहीं होगा। निपटारा (५)

(५) उपधारा (२) एवं (३) में वर्णित अपील अथवा पुनरीक्षण, यथास्थिति, आदेश दिनांक से तीस दिवस के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

(६) तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी/संभागायुक्त उन्हें प्रस्तुत यथास्थिति आवेदन, अपील या पुनरीक्षण का निपटारा अधिकतम साठ दिवस में करेंगे।

(७) जहां किसी मामले में संभाग आयुक्त की राय है कि यथास्थिति, तहसीलदार या उपखण्ड अधिकारी ने, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के साठ दिवस के भीतर मामले का निराकरण नहीं किया है तो वह यथास्थिति तहसीलदार या उपखण्ड अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर, ऐसे प्रत्येक दिन के विलम्ब के लिए एक सौ रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

(८) भूमि स्वामी एवं बटाईदार के विवादों के लंबित रहने के दौरान राजस्व न्यायालय, पक्षकारों को अनुबंध की शर्तों के पालन हेतु ऐसा यथोचित अंतरिम आदेश, जो वह युक्तियुक्त समझे, दे सकेगा:

परन्तु वह ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जिससे कि अनुबंध समाप्ति के पश्चात् भी बटाईदार का भूमि पर कब्जा बना रहे।

(९) यदि कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है तो अनुबंध अवधि के अवसान पर स्थगन आदेश स्वतः समाप्त हो जावेगा तथा भूमि स्वामी को अनिवार्यतः कब्जा दिलाया जावेगा।

१०. अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन या अनुबंध के भंग होने से व्यक्ति पक्षकार का आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार द्वितीय पक्षकार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर अपेक्षा करेगा कि वह तत्काल अनुबंध का उल्लंघन बंद कर अनुबंध का पालन करे एवं स्वयं उपस्थित होकर इस आशय का पालन प्रतिवेदन पेश करे अन्यथा कारण बताए कि क्यों न उसे दस हजार रुपये प्रति हैक्टेयर अधिकतम जुर्माने से दण्डित किया जाए। सूचना पत्र का उत्तर, शपथ पत्र पर साक्ष्य एवं उभयपक्ष को सुनने के पश्चात्, तहसीलदार अनुबंध का पालने कराने हेतु समुचित आदेश दे सकेगा तथा आदेश का पालन सुनिश्चित होने पर प्रकरण समाप्त हो जावेगा:

परन्तु यदि तहसीलदार का यह समाधान हो जाता है कि अनुबंध का पालन कराया जाना संभव नहीं है तो अनुबंध को समाप्त करेगा, उभय पक्ष के दावों का निर्धारण करेगा तथा अनुबंध भंग के लिए उत्तरदायी पक्षकार को दस हजार रुपये तक प्रति हैक्टेयर के मान से जुर्माने से दण्डित कर सकेगा, जो भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली योग्य होगा।

११. (१) अनुबंध अवधि के अवसान पर या समाप्त होने पर यदि बटाईदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अनुबंधाधीन भूमि का कब्जा नहीं छोड़ता है तो भूमिस्वामी द्वारा आवेदन देने पर तहसीलदार, बटाईदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर अपेक्षा करेगा कि वह भूमि का कब्जा भूमि स्वामी को सौंपकर स्वयं उपस्थित होकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे तथा कारण बताए कि उसे रुपये दस हजार प्रति हैक्टेयर तक का जुर्माना अथवा तीन मास तक की कालावधि के लिए सिविल कारागार अथवा दोनों से दण्डित क्यों न किया जाए। भूमिस्वामी का युन-स्थापन।

(२) यदि बटाईदार कारण वताओं नोटिस तामील होने के पश्चात् भी, खाली कब्जा नहीं सौंपता है और उसके बारे में रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत नहीं करता है तो वह उसे उपधारा (१) में विहित किए गए अनुसार निरुद्ध करेगा तथा दण्डित करेगा तथा युक्तियुक्त बल के प्रयोग द्वारा भूमि स्वामी का आवेदन प्राप्त होने के तीस दिवस के भीतर भूमि पर वास्तविक कब्जा सुनिश्चित कराएगा तथा जुर्माने की राशि भू-राजस्व के बकाया की भाँति बसूली योग्य होगी:

परन्तु यदि तहसीलदार का यह समाधान हो जाता है कि भूमि स्वामी का भूमि पर निर्विघ्न आधिपत्य हो गया है तो वह बटाईदार को सिविल कारागार से निर्मुक्त किए जाने का आदेश दे सकेगा.

आपसी सहमति से अनुबंध की समाप्ति.

१२. भूमिस्वामी एवं बटाईदार आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि के अवसान के पूर्व भी अनुबंध समाप्त कर सकेंगे तथा उसे तहसीलदार को प्रस्तुत कर सकेंगे.

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव.

१३. (१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.

(२) भूमि स्वामी एवं बटाईदार अनुबंध में उल्लिखित तथ्यों के विपरीत कथन करने से विवर्णित होंगे.

(३) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन निष्पादित अनुबंध को बटाईदार अनुबंधाधीन भूमि पर स्वत्व, कब्जा या अन्यथा कोई अधिकार प्राप्त करने के लिये किसी प्राधिकारी या न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकेगा, न ही कोई वाद, आवेदन या याचिका लगा सकेगा, न ही कोई लाभ प्राप्त कर सकेगा.

राजस्व प्राधिकारियों की अनन्य अधिकारिता.

१४. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन अनुबंधाधीन भूमि के संबंध में भूमिस्वामी एवं बटाईदार के मध्य विवादों का विनिश्चय करने की राजस्व प्राधिकारियों की अनन्य अधिकारिता होगी तथा सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित होगा.

इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण.

१५. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में कर्तव्य निर्वहन हेतु सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी कृत्य के लिए किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी.

नियम बनाने की शक्ति.

१६. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी.

(२) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन होंगे.

(३) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

कठिनाईयों का दूर किया जाना.

१७. (१) यदि इस अधिनियम के प्रभावशील होने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के भीतर इस अधिनियम के उपबंधों को किसी क्षेत्र में प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निर्देश दे सकेगी जो कि उस कठिनाई का निराकरण करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों।

(२) उपधारा (१) के अधीन पारित आदेश की एक प्रतिलिपि, उसके पारित किए जाने के पश्चात्, विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी.

प्रस्तुति—क

[धारा २ (क) एवं धारा ४ देखें]

अनुबंध

मध्यप्रदेश भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण विधेयक, २०१६

यह अनुबंध आज दिनांक माह वर्ष को प्रथम पक्ष श्री पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु निवासी जिसे इसमें इसके पश्चात् भूमिस्वामी कहा गया है (जिसके अंतर्गत उसके उत्तरजीवी तथा समनुदेशी सम्मिलित हैं) और द्वितीय पक्ष श्री पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु निवासी जिसे इसमें इसके पश्चात् बटाईदार कहा गया है (जिसके अंतर्गत उसके उत्तरजीवी सम्मिलित हैं), के बीच निष्पादित किया गया।

२. अनुबंधाधीन भूमि का विवरण खसरा नम्बर रकबा कुल रकबा
- ग्राम पटवारी हल्का तहसील जिला
३. अनुबंध की अवधि-दिनांक से दिनांक तक होगी.

४. अनुबंध अनुसार प्रतिफल—

- (क) बटाईदार द्वारा भूमिस्वामी को प्रतिवर्ष राशि देय होने पर इस अनुबंध में बटाई पर दी जा रही कुल भूमि के लिये एक वर्ष के लिये निर्धारित देय राशि रु. (अंकों में) (शब्दों में)
- (ख) अनुबंध में बटाई पर दी जा रही कुल भूमि के लिये एक वर्ष के लिये फसल का हिस्सा देय होने पर फसल का नाम एवं फसलवार भूमिस्वामी एवं बटाईदार के हिस्से का स्पष्ट उल्लेख करें
- (ग) यदि खाद, बीज, सिंचाई या अन्य किसी भी व्यय में भूमिस्वामी एवं बटाईदार के बीच होने वाले खर्च उठाने के संबंध में कोई शर्त तय हुई है तो उसका विवरण:—
- (घ)
 - (एक) प्रतिवर्ष राशि या फसल का हिस्सा देने की अंतिम तिथियां
 - (दो) प्रतिवर्ष राशि प्रतिशत की वृद्धि होगी,
 - (तीन) प्रतिवर्ष फसल के हिस्से में होने वाली वृद्धि का विवरण
५. (१) बटाईदार द्वारा किये जा सकने वाले सुधार कार्यों एवं उससे संबंधित शर्तों का उल्लेख
- (२) सुधार कार्य के विषय में यदि उल्लेख नहीं है तो निर्मित संरचना भूमिस्वामी के स्वामित्व की हो जाएगी.
६. बटाईदार द्वारा किये जा सकने वाले आनुषंगिक कार्यों एवं शर्तों का स्पष्ट उल्लेख

७. प्राकृतिक आपदा या अन्यथा फसल हानि की स्थिति में देय सहायता प्रतिशत बटाईदार तथा प्रतिशत भूमिस्वामी को प्राप्त करने का अधिकार होगा.

८. भूमिस्वामी यह स्वीकार करता है और वचन देता है कि वह अनुबंध का उल्लंघन नहीं करेगा तथा बटाईदार के कब्जा दखल तथा कृषि कार्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई व्यवधान नहीं डालेगा.

९. बटाईदार यह स्वीकार करता है तथा वचन देता है कि वह—

- (१) अनुबंध का उल्लंघन नहीं करेगा तथा अनुबंध के अनुसार निर्धारित दिनांक के पूर्व भूमिस्वामी को प्रतिफल का भुगतान कर रसीद प्राप्त करेगा।
- (२) अनुबंध या अनुबंध अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात् बटाईदार भूमिस्वामी को कब्जा वापस सौंप देगा।
- (३) वह अनुबंधाधीन भूमि पर हक, कब्जा का अधिकार या अन्य कोई भी अधिकार प्राप्त करने के लिये अनुबंध को किसी प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेगा, किसी भी न्यायालय में कोई वाद, आवेदन, याचिका नहीं लगाएगा। यदि ऐसा करने का कोई अधिकार उसे किसी विधि में प्राप्त हो तो भी वह ऐसे अधिकार का त्याग करता है।

१०. अनुबंध अवधि या अनुबंध समाप्त होने पर, भूमि विधि के प्रभाव से भूमिस्वामी को स्वतः प्रतिवर्तित हो जाएगी तथा बटाईदार भूमि से बेदखल हो जावेगा एवं भूमिस्वामी का भूमि पर कब्जा हो जावेगा। इस हेतु किसी कार्रवाई या आदेश की आवश्यकता नहीं होगी।

११. अनुबंध अवधि या अनुबंध की समाप्ति पर बटाईदार भूमि से कब्जा नहीं छोड़ता है तो तहसीलदार अधिनियम की धारा ११ के अधीन भूमिस्वामी का कब्जा पुनः स्थापित कराएगा तथा उस पर जुर्माना या सिविल जेल या दोनों का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

१२. भूमिस्वामी एवं बटाईदार दोनों यह अंगीकार करते हैं कि यदि वह अनुबंध का पालन नहीं करता है तो अधिनियम की धारा १० के अधीन तहसीलदार द्वारा जुर्माने से जो दस हजार रुपए प्रति हैक्टेयर तक का हो सकेगा, दण्डित किया जावेगा तथा अनुबंध का वलपूर्वक पालन कराया जावेगा।

आज दिनांक को स्थान पर पूरे होशोहवास में बिना किसी दबाव के सोच समझकर कण्ठका १ लगायत १२ यह अनुबंध सादे कांगज पर हम पक्षकारों पक्षकार क्रमांक १ अनुबंधकर्ता भूमिस्वामी एवं पक्षकार क्रमांक २ अनुबंधग्रहीता बटाईदार ने दो साक्षियों के समक्ष सभी की पासपोर्ट साईट फोटो तथा मान्य पहचान-पत्र की प्रति इस अनुबंध पर चस्पा कर तीन प्रतियों में प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर एवं अंगूठा चिन्ह अंकित कराकर निष्पादित कर दिया है। अनुबंध की एक-एक प्रति प्रत्येक पक्षकार के पास सुरक्षित रखी जायेगी।

हस्ताक्षर

साक्षी क्रमांक—१

साक्षी क्रमांक—२

हस्ताक्षर

पक्षकार क्रमांक—१

पक्षकार क्रमांक—२

अँगूठा चिन्ह

पक्षकार क्रमांक—१

पक्षकार क्रमांक—२

टीप—१. अनुबंध पर उभय पक्षकारों के पासपोर्ट साईट फोटो चस्पा किए जाएं।

2. अनुबंध के साथ उभय पक्षों के वैद्य पहचान-पत्र संलग्न किए जाएं।

3. अनुबंध-पत्र तीन प्रतियों में तैयार किए जाएं।

4. प्रत्येक पक्षकार अनुबंध की एक प्रति अपने पास रखें।

5. उभय पक्ष अनुबंध के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे।

6. हस्ताक्षर के साथ अंगूष्ठ चिन्ह भी लगाना अनिवार्य है।

उद्देश्यों तथा कारणों का कथन

१. भूमिस्वामियों द्वारा कृषि भूमि बटाई पर दी जाना जमीनी सत्यता है। बटाईदार को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त न हो जाए, इस भय से भूमिस्वामी प्रतिवर्ष बटाईदार बदलता है या भूमि को पड़त ही छोड़ देता है। जिससे कृषि उपज की हानि होती है। भूमिस्वामी लिखित में बटाई पर भूमि देने में हिचकते हैं और इसके स्थान पर मौखिक अनुबंध पर देते हैं परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदा के मामले में वास्तविक बटाईदार किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं कर पाते हैं।

२. भूमि संसाधन का अधिकतम, प्रभावी एवं लाभप्रद उपयोग करने, भूमिस्वामी एवं बटाईदार दोनों के हित सुरक्षित रखने के लिये भूमि को बटाई पर दिए जाने की वैधानिक व्यवस्था को आवश्यक समझा गया।

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख २६ जुलाई, २०१६.

उमाशंकर गुप्ता

भारसाधक सदस्य।

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड १६ द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाए जाने संबंधी विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है, जो सामान्य स्वरूप के होंगे।

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.